प्रैस विज्ञप्ति

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू ज़िला कुल्लू हि0 प्र0।

जिला कुल्लू के उप मण्डल कुल्लू एवं आनी में विभिन्न पटवार वृतों में अंशकालीन कर्मी (Part Time Worker) चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती :–

पद का नाम	अंशकालीन कर्मी (चतुर्थ श्रेणी)
पटवार वृत का नाम	1. उप मण्डल कुल्लू : पिछलीहार, चौपरसा, गड़सा, जरी, सोसन, मनीकर्ण, शाट = **07** 2. उप मण्डल आनी : डिंगीधार = **01**
शैक्षणिक योग्यता	दसवीं पास या इसके समतुल्य हो ।
आयु सीमा	01–01–2021 को 18 से 45 वर्ष के मध्य
नियुक्ति प्रकिया	सीधी भर्ती
मानदेय	मु0 4,100 / –रू0 प्रतिमाह
आवेदन करने की अन्तिम तिथि	31–08–2021 सांय 4:00 बजे तक

उपरोक्त पदों पर आवेदन हेतू इच्छुक उम्मीदवार द्वारा निर्धारित प्रपत्र सहित सम्बन्धित दस्तावेज़ों की स्वंय सत्यापित छायाप्रतियां व्यक्तिगत रूप से या डाकघर के माध्यम से सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (ना0) के कार्यालय में दिनांक 31–08–2021 सांय 4:00 बजे तक जमा किए जाएंगे । आवेदन हेतू निर्धारित प्रपत्र तथा निर्धारित मापदण्ड जिला प्रशासन कुल्लू की वैवसाइट **website:http://hpkullu.nic.in** से download किए जा सकते हैं या सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (ना0) के कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं ।

नोट : अधूरे एवं दिनांक 31–08–2021 के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

उपायुक्त, कुल्लू ।

HIMINDIA EDUCATION

like Himindia education page on Facebook and youTube
For all Previous papers search www.him-india.com

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ।

कमांक–1154–55–/स्था0 दिनांक :– 30-07-2021

प्रेषित

उप मण्डल अधिकारी (ना0),
कुल्लू / आनी, जिला कुल्लू हि0प्र0।

विषय :– **पटवार वृतों में अंशकालीन कर्मी (Part Time Worker) के रिक्त पदों को भरने बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या रैव.ए(बी)15–23/2014–।। दिनांक 24–06–2019 द्वारा विभिन्न पटवार वृतों में अंशकालीन कर्मी (Part Time worker) के रिक्त पदों को भरने के निर्देश जारी किए गए हैं । इस सम्बन्ध में प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या रैव–ए(बी)15–23/2014 दिनांक 21–11–2015 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 20–07–2016 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सम्बन्धित पंचायत का स्थानीय निवासी होगा तथा जिसने पटवार भवन के लिए भूमि दान में प्रदान की है । उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना में इन पदों को भरने हेतू निम्न प्रकार से चयन कमेटी का गठन किया जाता है :–

1. सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (ना0) — अध्यक्ष
2. सम्बन्धित तहसीलदार — सदस्य सचिव
3. सम्बन्धित नायब तहसीलदार — सदस्य

निम्नलिखित पटवार वृतों में अंशकालीन कर्मी (Part Time worker) के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी हैं :–

क्र० सं०	पटवार वृत	तहसील	उपमण्डल
1.	पिछलीहार	कुल्लू	कुल्लू
2.	चौपरसा	कुल्लू	कुल्लू
3.	गड़सा	भून्तर	कुल्लू
4.	जरी	भून्तर	कुल्लू
5.	सोसन	भून्तर	कुल्लू
6.	मनीकर्ण	भून्तर	कुल्लू
7.	शाट	भून्तर	कुल्लू
8.	डीन्गीधार	आनी	आनी

HIMINDIA EDUCATION

like Himindia education page on Facebook and youTube
For all Previous papers search www.him-india.com

पात्रता की शर्तें :–

1. आयु सीमा 01–01–2021 को 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए ।
2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी ।
3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं परीक्षा पास या इसके समकक्ष होनी चाहिए ।

नोट : आवेदक यदि दसवीं के अतिरिक्त अन्य उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र संलगन करता है, तो उसका कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जायेगा ।

वांछनीय योगयता :–

1. आवेदक को हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों का ज्ञान होना चाहिए।

निबन्धन व शर्तेः–

उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती :– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के प्रदत शर्तो और निबन्धन के अनुरूप होगी । अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या रैव–ए(बी0)15–23/2014–III दिनांक 05–04–2021 के अनुसार उक्त अंशकालीन कर्मियों को मुवलिग 4100/–रूपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा ।

आवश्यक सूचना :–

1. आयु , शैक्षणिक योग्यता एवं हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र के बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
2. इसके अतिरिक्त आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज (यदि लागू हो) अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अर्न्तगत प्रतिशत्ता तथा योग्यतानुसार दिए जाने वाले अंकों का ब्यौरा निम्न प्रकार से होगा :–

अंक तालिका

कुल अंक = 100

i. दसवीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 85 में से प्रतिशत्ता के हिसाब से दिये जायेंगे (यदि किसी आवेदक ने 100 में से 50 अंक प्राप्त किए हों तो उसे 85 में से 50 प्रतिशत 85 = 42.5 अंक दिये जायेंगे)
ii. अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से संबन्धित प्रमाण पत्र **= 1 अंक**
iii. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग से सम्बधित प्रमाण पत्र = **1 अंक**
iv. भूमिहीन परिवार / जिसके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि का प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो **= 2 अंक**
v. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बेरोजगार प्रमाण पत्र कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी / अर्धसरकारी नौकरी में नहीं है **= 2 अंक**

HIMINDIA EDUCATION

like Himindia education page on Facebook and youTube
For all Previous papers search www.him-india.com

vi. दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो = **1 अंक**

vii. राष्ट्रीय सेवा योजना (कम से कम एक वर्ष) राष्ट्रीय कैडिट कोर / भारत स्काउट एवं गाइड का प्रमाण पत्र / राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में पदक विजेता का प्रमाण पत्र = **1 अंक**

viii. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र = **2 अंक**

ix. विधवा / तलाकशुदा / निस्सहाय एकल स्त्री = **1 अंक**

x. सम्बन्धित पंचायत के स्थानीय निवासी के लिए = **2 अंक**

xi. पटवारखाना भवन हेतू दान में प्रदान की गई भूमि के लिए = **2 अंक**
(दिनांक 08–07–2015 से पूर्व दान की गई भूमि के मामले ही मान्य होंगे)

चयन प्रकिया :–

1. जिस आवेदक के सबसे अधिक अंक बनेंगे उसका चयन मैरिट के आधार पर किया जाएगा।
2. यदि एक से अधिक आवेदकों के अंक एक समान बनतें हैं, तो ऐसी स्थिति में चयन दसवीं में अधिक अंक प्राप्त करने के आधार पर किया जाएगा ।
3. उक्त स्थिति में यदि दसवीं में भी एक जैसी समानता हो तो उनकी जन्म तिथि को आधार मानते हुए जिसका जन्म पहले हुआ हो, का चयन किया जाऐगा ।

गठित चयन कमेटी आवेदन पत्रों की जांच (Scruitiny) उपरान्त पात्र उम्मीदवारों को counseling हेतू तिथि निर्धारित कर आमन्त्रित करेगी तथा चयन सम्बन्धी प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् मैरिट लिस्ट अपनी संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करगी ।

HIMINDIA EDUCATION

भवदीय,

(आशुतोष गर्ग) भा0प्र0से0
उपायुक्त, कुल्लू ।
का0/
दूरभाष : 01902–222727
e-mail : dc-kul-hp@nic.in

पृष्ठांकन संख्या 1156–59 /स्था0 दिनांक :– 30-07-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. जिला राजस्व अधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू ।
2. तहसीलदार / नायब तहसीलदार, कुल्लू / भून्तर / आनी, जिला कुल्लू ।

(आशुतोष गर्ग) भा0प्र0से0
उपायुक्त, कुल्लू ।
का0/
दूरभाष : 01902–222727
e-mail : dc-kul-hp@nic.in

like Himindia education page on Facebook and youTube
For all Previous papers search www.him-india.com

आवेदन प्रपत्र

1.	आवेदक का नाम :
2.	पिता का नाम :
3.	जन्म तिथि :
4.	लिंग (स्त्री/पुरूष) :
5.	स्थायी पता :
6.	दूरभाष / मोबाईल नं0 :
7.	शैक्षणिक योग्यता :

परीक्षा	बोर्ड का नाम	प्राप्त अंक / कुल अंक	प्रतिशत्ता	वर्ष
दसवीं				

8. निम्नलिखित दस्तावेज़ / प्रमाण पत्र जो आवेदक द्वारा संलग्न किए गए हैं, के स्तम्भ में यदि हां है तो हां और यदि नहीं है तो नहीं स्वयं लिखकर दर्शायें ।

		हां	**नहीं**
1.	हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र		
2.	उप मण्डल अधिकारी (ना0) / तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित प्रमाण पत्र		
3.	तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग से सम्बधित प्रमाण पत्र		
4.	उप मण्डल अधिकारी (ना0) / तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी भूमिहीन परिवार / एक हेक्टेयर से कम भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र		
5.	उप मण्डल अधिकारी (ना0) / तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी बेरोजगार प्रमाण पत्र कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी / अर्धसरकारी नौकरी में नहीं है		
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्राधिकारी / चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो		
7.	सम्बन्धित संस्थान के मुख्य द्वारा जारी राष्ट्रीय सेवा योजना (कम से कम एक वर्ष) राष्ट्रीय कैडिट कोर / भारत स्काउट एवं गाइड का प्रमाण पत्र / सम्बन्धित जिला युवा सेवायें एवं खेल अधिकारी या सम्बन्धित संस्थान के मुख्य द्वारा जारी जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में पदक विजेता का प्रमाण पत्र		
8.	तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र		
9.	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी विधवा / तलाकशुदा / निस्सहाय एकल स्त्री प्रमाण पत्र		
10.	पंचायत सचिव द्वारा जारी सम्बन्धित पंचायत के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र		
11.	तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा जारी दिनांक 08–07–2015 से पूर्व पटवारखाना भवन हेतू दान में प्रदान की गई भूमि बारे प्रमाण पत्र		

आवेदक के हस्ताक्षर

HIMINDIA EDUCATION

like Himindia education page on Facebook and youTube
For all Previous papers search www.him-india.com